उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

रायपुर–थानो रोड, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज,रायपुर के सामने
देहरादून–248008

वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in E-mail: [illegible]

विज्ञापन संख्या 03/उ0अ0से0च0आ0/2024 दिनांक 25 सितंबर 2024

चयन हेतु विज्ञापन

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह 'ग' की सीधी भर्ती के माध्यम से विभिन्न विभागों के तकनीकी संवर्ग के रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन।

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	25 सितंबर, 2024
ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि	28 सितम्बर, 2024
ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि	18 अक्टूबर, 2024
ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि/अवधि	21 अक्टूबर, 2024 से 24 अक्टूबर, 2024 तक
लिखित परीक्षा की सम्भावित तिथि	25 नवंबर, 2024

02. उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न विभागों के समूह 'ग' के प्रारूपकार के रिक्त 140 पदों, टैक्नीशियन ग्रेड–2(विद्युत) के रिक्त 21 पदों, टेक्नीशियन ग्रेड–2(यांत्रिक) के रिक्त 30 पदों, नलकूप मिस्त्री के रिक्त 18 पदों, सर्वेयर के रिक्त 01 पद, मैकेनिक सहायक के रिक्त 01 पद, इलेक्ट्रीशियन के रिक्त 01 पद, ड्राफ्टमैन सिविल के रिक्त 38 पद, अनुरेखक/ट्रेसर के रिक्त 03 पदों तथा टेक्निकल निरीक्षक के 01 रिक्त पद अर्थात कुल [illegible] रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in पर दिनांक 18 अक्टूबर, 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

03. अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रकार की Offline अथवा Online mode में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में प्रारम्भ में दी गई तिथि सम्भावित है। परीक्षा की तिथि की संशोधित सूचना यथा समय पृथक से आयोग की वेबसाइट, दैनिक समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति तथा अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन–पत्र में दिये गये Mobile Phone Number पर S.M.S. तथा E-Mail द्वारा भी उपलब्ध करायी जाएगी। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। आयोग द्वारा डाक के माध्यम से प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण सूचनाएं भी आयोग की वेबसाइट, E-Mail या S.M.S. से ही मिलेगी। इसलिए अभ्यर्थी आवेदन पत्र में स्वयं का सही Phone/Mobile Number व E-Mail भरें। आयोग द्वारा सभी सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएंगी। अतः आवश्यक है, कि अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के संबंध में जानकारी यथा परीक्षा कार्यक्रम, प्रवेश पत्र जारी करना इत्यादि के लिए आयोग की वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in को समय समय पर देखते रहें।

04. पदों का विवरण– उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रेषित/उपलब्ध कराये जाने वाले अधियाचनों में रिक्तियों की गणना एवं आरक्षण की पूर्ति की जिम्मेदारी पूर्णतः सम्बन्धित विभाग की है। इस विज्ञापन में कुल विज्ञापित पदों व उनके सापेक्ष ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत पदों की संख्या व विभिन्न श्रेणियों/उपश्रेणियों का उल्लेख सम्बन्धित विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए अधियाचन में दिए गए विवरण के अनुसार ही किया गया है। उत्तराखण्ड शासन के क्षैतिज व ऊर्ध्व आरक्षण सम्बन्धी नवीनतम अधिनियमों/अध्यादेशों/नियमों/शासनादेशों में निर्धारित/नीति निर्देशों के अनुरूप अनारक्षित/आरक्षित रिक्तियों की संख्या में संशोधन/परिवर्तन हो सकता है तथा विज्ञापित रिक्तियों की कुल व श्रेणीवार संख्या घट/बढ़ सकती है। रिक्तियों का विवरण निम्नानुसार है:–

A- पदनाम– प्रारूपकार

पदकोड–871/388/83/2024 कुल पद–140

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति–

क्र0 सं0	विभाग/विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या						
				उत्तराखण्ड की महिला	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	पूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारी व उनके आश्रित	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	प्रारूपकार (सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड)	अ0जा0	22	07	–	01	01	–	02	05 (02-LV/VI) (01-HH/HoH) (01- OAL/OA/OL/BL/LC/DW/AAV/MD) (01-MI)
		अ0ज0जा0	05	[illegible]	–		–	–	–	
		अ0पि0व0	25	08		–	–	–	01	
		आ0क0व0	14	04	–	–	–	–	01	
		अना0	67	20	02	06	06	05	10	
		योग	140	42	02	07	07	05	14	05

(ii) वेतनमान– रू0 35,400–रू0 1,12,400 (लेवल–06)

(iii) आयु सीमा: 21 वर्ष से 42 वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूप–अराजपत्रित/स्थाई/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(v) शैक्षिक अर्हता–

(a) अनिवार्य अर्हता–

प्रारूपकार के पद पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी को निम्न निर्दिष्ट अर्हताओं में से कोई एक होनी चाहिए–

1. राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड द्वारा दिया गया सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा।
2. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था द्वारा दिया गया सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा।
3. राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तरप्रदेश द्वारा दिया गया नक्शानवीसी में प्रमाण पत्र।
4. रूड़की विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया नक्शानवीसी का प्रमाण पत्र
5. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया नक्शानवीसी में 3 वर्षीय प्रमाण पत्र
6. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया तीन वर्षीय प्रमाण पत्र

2. श्रम विभाग द्वारा संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रशिक्षणार्थियों को श्रम मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक परिषद भारत सरकार द्वारा प्रदत्त नेशनल अप्रेंटिसशिप का प्रमाण पत्र।

(b) अधिमान्य अर्हतायें– अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को सेवा चयन में अधिमान दिया जायेगा, जिसने:

1. प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या भूतपूर्व सैनिक हो, या
2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

B- पदनाम <u>टैक्नीशियन ग्रेड–2 (विद्युत)</u>

पत्रांक–324/650/08/2024 कुल पद–21

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति–

क्र० सं०	पदनाम/विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या						
				उत्तराखण्ड की महिला	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	दिव्यांगजन की श्रेणी किस के	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	टैक्नीशियन ग्रेड–2 विद्युत (यूजेवीएन लिमिटेड)	अनारक्षित	03	01	—	—	—	—	—	—
		अन्य पिछड़ा वर्ग	07	—	—	—	—	—	—	
		अनु०जाति	07	02	—	—			—	
		अनु०ज०जाति	02	—	—		—	—	—	
		[illegible]	02	02		—	—	—	—	
		योग	21	05		—	—	—		—

(ii) वेतनमान– रु0 29200 से 92300 (लेवल–05)

(iii) आयु सीमा– 18 वर्ष से 42 वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूप: अराजपत्रित/स्थाई/अस्थायी पेंशनयुक्त।

(v) <u>शैक्षिक अर्हता:</u>

(a) अनिवार्य अर्हता–

(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाईस्कूल विज्ञान एवं गणित विषय के साथ या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण तथा इलेक्ट्रीशियन अथवा इलेक्ट्रानिक्स ट्रेड में अखिल भारतीय/राज्य व्यावसायिक प्रमाण–पत्र एवं 02 वर्ष का कार्य का अनुभव।

(b) अधिमानी अर्हताएं– अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिन्होंने–

(1) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(2) नेशनल कैडेट कोर का "बी" प्रमाण–पत्र अथवा "सी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

C- पदनाम– टैक्नीशियन ग्रेड 2 (यांत्रिक)

पदकोड–524/680/83/2024 कुल पद–09

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति–

क्र0 सं0	पदनाम/विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या						टिप्पणी
				[illegible] के आश्रित	[illegible] के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	महिला	खेलकूद के कुशल खिलाड़ी	कार्यालय राज्य सरकार के विभिन्न ... का उनके आश्रित	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	टैक्नीशियन ग्रेड 2 (यांत्रिक) (पुलिस [illegible])	अनु0जा0	–	–			–	–	–	
		अनु0ज0जा0	01	–	–	–			–	
		अ0पि0व0			–	–	–	–	–	
		आ0क0व0	01	–	–				–	
		अना0	07	02	–	–	–	–		
		योग	09	02			–	–	–	

(ii) वेतनमान– रू0 25500–81100 (लेवल–04)

(iii) आयु सीमा– 18 वर्ष से 40 वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूप– अराजपत्रित/समूह 'ग'/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(v) शैक्षिक अर्हता–

(a) अनिवार्य अर्हता–

1 मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल विज्ञान एवं गणित विषय के साथ या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण तथा फिटर ट्रेड में राष्ट्रीय/राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र एवं संबंधित कार्य का 02 वर्ष का कार्य का अनुभव।

(b) अधिमानी अर्हता– अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जिन्होंने:

(1) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र अथवा 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

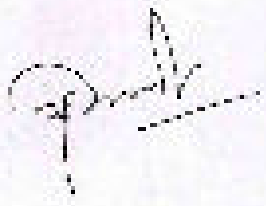

D- पदनाम— नलकूप मिस्त्री

पदकोड–671/322/69/2024 कुल पद 16

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति—

क्र0 सं0	पदनाम/विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या						
				उत्तराखण्ड की महिला	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	पूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	नलकूप मिस्त्री (सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड)	अ0जा0	—	—	—	—	—	—	—	—
		अ0ज0जा0	—	—	—	—	—	—		
		अ0पि0व0	01	—	—	—	—	—	—	—
		आ0दु0व0	01	—	—	—	—	—		
		अना0	14	04	—	—	—	—	01	
		योग	16	04	—				01	—

(ii) वेतनमान— रू0 25,500–रू0 81,100 (लेवल–04)

(iii) आयु सीमा— 18 वर्ष से 42 वर्ष तक

(iv) पद का स्वरूप—अराजपत्रित/अस्थाई/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(v) शैक्षिक अर्हता—

(a) अनिवार्य अर्हता—

(1) हाईस्कूल तथा आई0टी0आई0 के साथ–साथ 03 वर्ष का अनुभव।

(b) अधिमानी अर्हताएं— अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने—

(1) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र अथवा 'सी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

(3) स्नातक/स्नातकोत्तर की डिग्री धारक हो।

E- पदनाम– **प्लम्बर**

पदकोड 816/350/03/2024 कुल पद–01

(i) श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति–

क्र0 सं0	पदनाम/विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण में सम्मिलित रिक्त पदों की संख्या						
				उत्तराखण्ड की महिला	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के उत्कृष्ट खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	प्रोजेक्ट–[illegible] (ऑफ आफ) एक्स0 [illegible] [illegible]	अ0जा0	–			–	–	–	–	
		अ0ज0जा0	–	–	–	–	–			
		अ0पि0व0	–			–	–	–	–	
		आ0क0व0	–	–	–	–			–	
		अना0	01		–	–	–	–		
		योग	01	–	–	–	–		–	–

(ii) वेतनमान– रू0 19900–63200 (लेवल–02)

(iii) आयु सीमा– 18 वर्ष से 42 वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूप–अराजपत्रित/स्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(v) शैक्षिक अर्हता–

(अ) अनिवार्य अर्हता–

(1) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से हाईस्कूल परीक्षा या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो,

(2) किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्लम्बर ट्रेड में प्रमाण पत्र,

(3) सम्बन्धित ट्रेड में 02 वर्ष का कार्य अनुभव रखने वाले को अधिमान दिया जायेगा.

(ब) अधिमानी अर्हताएं– अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जिन्होंने

(1) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" अथवा "सी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

F- पदनाम— **मेंटिनेन्स सहायक**

पदकोड 856/276/03/2024 कुल पद–01

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति–

क्र0 सं0	पदनाम / विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या						
				उत्तराखण्ड की महिला	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	खेलकूद के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	मेंटिनेन्स सहायक (राज्य संपत्ति विभाग, उत्तराखण्ड)	अ0जा0	–		–	–	–		–	
		अ0ज0जा0	–	–		–	–	–		
		अ0पि0व0		–	–			–	–	
		आ0क0व0	–			–	–	–	–	
		अना0	01	–	–		–	–		
		योग	01		–	–			–	

(ii) वेतनमान– रू0 19,900–रू0 63,200 (लेवल-02)

(iii) आयु सीमा– 21 वर्ष से 42 वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूप–अराजपत्रित/स्थाई/अंशदायी पेंशनयुक्त

(v) शैक्षिक अर्हता–

(a) अनिवार्य अर्हता–

(1) विद्यालयी शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(2) इलेक्ट्रिकल अथवा मैकेनिकल में 02 वर्षीय आई0टी0आई0 डिप्लोमा तथा ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा जो कम्प्यूटर अनुप्रयोग का ज्ञान रखते हों।

(b) अधिमानी अर्हताएं– अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जिसने–

(1) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

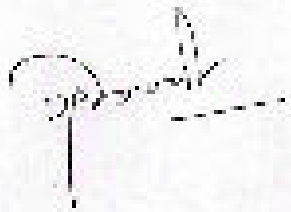

G- यंत्रशाला   इलेक्ट्रीशियन

पदकोड 704/185/83/2024   कुल पद–01

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति–

क्र0 सं0	पदनाम/ विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या						रिमार्क
				[illegible]	[illegible]	भूतपूर्व सैनिक	महिला	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	[illegible]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	इलेक्ट्रीशियन (प्राविधिक शिक्षा [illegible])	अनारक्षित	01	–	–				–	
		अ0पि0व0			–	–	–	–		
		अनु0जाति	–	–				–	–	
		ई0डब्ल्यू0एस0			–	–	–			
		जनजा0	–			–	–	–		
		योग	01	–	–				–	–

(ii) वेतनमान: रू0 21,700–रू0 69,100 (लेवल-03)

(iii) आयु सीमा– 21 वर्ष से 42 वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूप–अराजपत्रित/स्थायी/समूह ग पेंशनयुक्त

(v) **शैक्षिक अर्हता–**

(क) अनिवार्य अर्हता–

(1) राजकीय माध्यमिक प्राविधिक विद्यालय का संबंधित ट्रेड से 03 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स अथवा हाई स्कूल के साथ आई0टी0आई0/सी0आई0टी0एस0 अथवा [illegible] से संबंधित ट्रेड में सर्टिफिकेट

(ख) अधिमानी अर्हतायें– अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जिन्होंने–

(1) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

11- पदनाम– इन्स्ट्रूमेंट रिपेयर

पदकोड–789/201/03/2024 कुल पद–03

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति–

क्र0 सं0	पदनाम/विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या						
				उत्तराखण्ड की महिला	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रित	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	इन्स्ट्रूमेंट रिपेयर (प्राविधिक शिक्षा विभाग)	अनु0जाति	01	–	–	–	–	–	–	
		अनु0जनजाति	–	–			–	–	–	
		अ0पि0व0		–	–	–	–		–	–
		आ0क0व0	–	–		–	–	–		
		सामान्य	02	–	–	–		–	–	
		योग	03		–	–	–	–		–

(ii) वेतनमान– रू0 29,200–रू0 92,300 (लेवल–05)

(iii) आयु सीमा: 21 वर्ष से 42 वर्ष तक

(iv) पद का स्वरूप: अराजपत्रित/स्थाई/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(v) शैक्षिक अर्हता–

(a) अनिवार्य अर्हता–

(1) डिप्लोमा इलैक्ट्रोनिक्स इन्स्ट्रूमेंटेशन/पोस्ट डिप्लोमा इन्स्ट्रूमेंटेशन

(b) अधिमानी अर्हताएं– अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जिन्होंने

(1) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

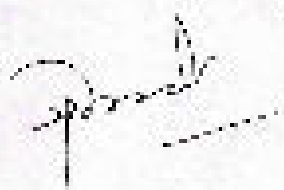

1- पदनाम अनुसेवक/ड्रेसर

पदकोड–02/062/63/2024 कुल पद–01

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति:–

क्र0 सं0	पदनाम/विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत पदों की संख्या						
				स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	उत्तराखण्ड की महिला	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	दिव्यांगजन	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	अनुसेवक/ड्रेसर (चिकित्सा शिक्षा विभाग)	सामान्य	–	–	–				–	
		अनु0जाति	–	–			–	–	–	
		अनु0ज0जा0			–	–	–	–	–	
		अ0पि0व0	–	–	–	–	–			
		आ0क0व0	0	–	–	–			–	
		योग	01	–	–			–	–	–

(ii) वेतनमान– रू0 18000–56900 (लेवल–01)

(iii) आयु सीमा– 18 वर्ष से 42 वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूप– अराजपत्रित/समूह 'ग'/अस्थायी पेंशनयुक्त

(v) शैक्षिक अर्हता–

(a) अनिवार्य अर्हता:

(1) आई0टी0आई0 डिप्लोमाधारक तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड की हाईस्कूल परीक्षा या भारत सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। (आई0टी0आई0 डिप्लोमाधारक संबंधित ट्रेड का ही मान्य है)

(b) अधिमानी अर्हताएं– अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिन्होंने–

(1) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण–पत्र अथवा "सी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

1- पदनाम–   **अनुदेशक/ट्रेनर**

पदकोड–165/052/65/2024   कुल पद 02

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति–

क्र0 सं0	पदनाम/ विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या: उत्तराखण्ड की महिला	उत्तराखण्ड के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	अनुदेशक/ ट्रेनर (विद्युतकार ट्रेड)	अ0जा0	–	–				–	–	–
		अ0ज0जा0	–			–	–	–	–	
		अ0पि0व0		–	–	–	–	–		
		आ0क0व0	–	–	–				–	
		अना0	02	–				–	–	
		योग	02		–	–	–	–		–

(ii) वेतनमान–   रू0 18,000 – रू0 56,900 (लेवल–01)

(iii) आयु सीमा–   18 वर्ष से 42 वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूप– अराजपत्रित/स्थाई/अशासकीय पेंशनयुक्त।

(v) शैक्षिक अर्हता–

(क) अनिवार्य अर्हता–

(1) आई0टी0आई0 डिप्लोमा एवं माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तराखण्ड की हाईस्कूल परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। (आई0टी0आई0 डिप्लोमा धारक संबंधित ट्रेड का ही मान्य है)

(ख) अधिमानी अर्हताएं– अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जिन्होंने:

(1) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र अथवा "सी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

8- पदनाम– बेंतकला प्रशिक्षक

पदकोड 456/CBO/KI/2024 कुल पद–01

(i) [illegible] का [illegible] एवं [illegible] आरक्षण की स्थिति–

क्र० सं०	पदनाम/विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या						विवरण
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	बेंतकला प्रशिक्षक [illegible] विभाग, [illegible]	[illegible]			–	–	–	–	–	–
		[illegible]		–	–	–	–	–		
		[illegible]	–	–	–	–	–		–	
		[illegible]	–	–			–	–	–	
		अना०	01		–	–	–	–	–	
		योग	01	–	–	–	–		–	–

(ii) वेतनमान– रु0 21,700 [illegible] 69,100 ([illegible])

(iii) आयु सीमा: 18 वर्ष से 42 वर्ष तक

(iv) पद का स्वरूप–[illegible] / [illegible] / अंशदायी पेंशनयुक्त।

(v) शैक्षिक अर्हता:

(a) अनिवार्य अर्हता–

(1) माध्यमिक शिक्षा परिषद् [illegible] / [illegible] की हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

(2) किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित व्यवसाय में प्रमाण पत्र।

(b) अधिमानी अर्हताएं– [illegible] बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जिन्होंने–

(1) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(2) नेशनल कैडेट कोर का "बी" प्रमाण–पत्र [illegible] प्राप्त किया हो।

9. लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम व चयन प्रक्रिया

(i) [illegible] पदों के चयन हेतु 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय (Objective Type with Multiple Choice) 02 घन्टे की एक प्रतियोगी परीक्षा होगी।

[illegible] प्रशिक्षक टैक्नीशियन ग्रेड–2 (विद्युत), टैक्नीशियन ग्रेड–2 (यांत्रिक), [illegible] फिटर, [illegible] इलेक्ट्रीशियन तथा [illegible] के पदों हेतु [illegible] वस्तुनिष्ठ प्रश्नों हेतु संबंधित [illegible] का पाठ्यक्रम National Council For Vocational Training (NCVT) का होगा। [illegible] अनुदेशक/ड्रेसर के पदों हेतु DMC (Draftsman civil) का पाठ्यक्रम होगा। [illegible]– बेंतकला प्रशिक्षक के पदों के पाठ्यक्रम हेतु परिशिष्ट–1 का अवलोकन करें।

सामान्य व ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को 35 प्रतिशत न्यूनतम अर्हक अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा वे लिखित प्रतियोगी परीक्षा में अनर्ह माने जाएंगे।

(ii) अभ्यर्थियों को ऑफलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा की प्रश्न पुस्तिका, परीक्षा के पश्चात अपने साथ ले जाने की अनुमति है।

(iii) ऑफलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा के ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक (O.M.R. Sheet) तीन प्रतियों (ट्रिप्लीकेट) में होंगे। लिखित प्रतियोगी परीक्षा की समाप्ति पर प्रत्येक अभ्यर्थी उत्तर पत्रक की मूल प्रति एवं द्वितीय प्रति अपने परीक्षा कक्ष के कक्ष निरीक्षक को अनिवार्य रूप से जमा करेंगे। ऐसा न करने पर संबंधित अभ्यर्थी का परिणाम शून्य किया जाएगा। ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक की तृतीय प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति है। यदि परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाती है, तो परीक्षा समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थियों को उनकी परीक्षा सामग्री यथा प्रश्न पुस्तिका व दिए गए उत्तर विकल्प तथा उनके द्वारा दिए गए उत्तर व उत्तर कुंजी ऑनलाइन माध्यम से दी जाएगी।

(iv) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार उत्तर विकल्प दिए जाएंगे। अभ्यर्थी को चार उत्तर विकल्पों में से एक सर्वोत्तम उत्तर का चयन करना है। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंकों का एक चौथाई ऋणात्मक अंक काट लिया जाएगा।

(v) यदि अभ्यर्थी किसी भी प्रश्न का एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा, यदि दिये गये उत्तरों में से एक उत्तर सही भी हो, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपरोक्तानुसार ही ऋणात्मक अंक दिया जाएगा।

(vi) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उक्त प्रश्न के लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं दिया जाएगा।

(vii) ओ०एम०आर० शीट में व्हाइटनर का उपयोग या विकल्पों को खुरचना/काटना आदि प्रतिबंधित है और इसके लिए भी ऋणात्मक अंक दिया जाएगा।

(viii) यदि कोई अभ्यर्थी अपनी ओ०एम०आर० शीट में गलत अनुक्रमांक अथवा गलत पुस्तिका सीरीज अंकित करता है या कुछ भी अंकित नहीं करता है तो उसकी ओ०एम०आर० शीट का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

(ix) ऑनलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा होने की स्थिति में प्रश्न पत्र व दिये गये उत्तर विकल्प अभ्यर्थी को उपलब्ध कराये गये मॉनीटर/कम्प्यूटर/टैब पर ही प्राप्त होंगे।

06. अधिमान– लिखित प्रतियोगी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर श्रेष्ठता सूची तैयार की जाएगी। दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में आयु के आधार पर वरिष्ठता का निर्धारण होगा अर्थात वरिष्ठ अभ्यर्थी पहले तथा कनिष्ठ अभ्यर्थी बाद

ने जाएगा। आयु के भी समान होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा तथा अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।

07. आयु:

समस्त श्रेणी के पदों हेतु आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2024 है।

(क) परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को शासनादेश संख्या 1399 दिनांक 21 मई 2006 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है। उत्तराखण्ड के दिव्यांग अभ्यर्थियों को शासनादेश संख्या 1244, दिनांक 21 मई, 2006 द्वारा समूह-'ग' के पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट अनुमन्य है। उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्या 1244 दिनांक 21 मई, 2006 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है। अधिसूचना संख्या 5/1/72 कार्मिक-2 दिनांक 25 अप्रैल, 1977 के अनुसार उत्तराखण्ड के भूतपूर्व सैनिकों को अपनी वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी और यदि परिणामस्वरूप आयु उस पद/सेवा के लिए जिसके लिए वह नियुक्ति का इच्छुक हो विहित अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जायेगा कि वह उच्च आयु सीमा से सम्बन्धित शर्तों को पूरा करता है।

08. आवेदन हेतु पात्रता:-

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु निम्नलिखित अनिवार्य/वांछनीय अर्हताओं में से एक होनी आवश्यक है:-

(क) अभ्यर्थी का उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकरण हुआ हो।

(ख) अभ्यर्थी उत्तराखण्ड राज्य का मूल निवास/स्थाई निवास प्रमाण-पत्र धारक हो।

(ग) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो।

परन्तु यह कि सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों या केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कार्मिक, जिनकी सेवाएं उत्तराखण्ड से बाहर स्थानान्तरित नहीं हो सकती हों, स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी जो उक्त में स्थित हों, तथा उनके पुत्र/पुत्री, तत्कालीन सेवाकाल में समूह "ग" के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे। राज्य के स्थायी निवासी जो आजीविका/अध्ययन हेतु उत्तराखण्ड के बाहर

जिन सदस्यों के पति अथवा उनके पति/पत्नी, पैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र/पुत्री भी, उत्तराखण्ड के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे।

(ग) शासन के पत्रांक 1067/XXX(2)/2011 दिनांक 08.08.2011 के अनुसार "जो व्यक्ति पूर्व से ही राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजित है, किन्तु इस विज्ञापन में विज्ञापित पदों के सापेक्ष आवेदन करने के इच्छुक हैं, उनके लिए सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।" उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–910/XXX(2)/2015 दिनांक 20.07.2015 के अनुसार राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत केवल उत्तराखण्ड राज्य की सेवाएं सम्मिलित हैं।"

ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं से इतर अन्य सेवाओं में कार्यरत हैं, अपने विभाग से सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण करा सकते हैं। उपरोक्त अभ्यर्थियों को उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों के क्रम में जिनके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, को इस शर्त के साथ औपबन्धिक रूप से अर्ह किया जाएगा कि वह इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें कि उनके द्वारा सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हेतु अपने विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है तथा इसकी सूचना सम्बन्धित सेवायोजन कार्यालय को दे दी गई है। इस प्रकार उक्त दोनों आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उन अभ्यर्थियों को आवेदन करने हेतु अर्ह माना जाएगा।

(घ.) शासन के पत्रांक 008/XXX(2)/2010 3(1)/2010 दिनांक 14.09.2012 के अनुसार "जिन पूर्व सैनिकों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के किसी जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीकरण कराया गया है उन्हें पुनः सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा संबंधित पूर्व सैनिकों को निर्गत पंजीकरण सम्बन्धी प्रमाण पत्र को सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण के समतुल्य माना जायेगा।"

09. राष्ट्रीयता:–

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी –

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के आशय से पहली जनवरी, 1962 ई० से पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देशों, केन्या, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो।

परन्तु यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह राज्य सरकार से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह भी कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप–महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष

की अवधि से आगे सेवा में इस शर्त के अधीन रहते हुए रखा जाएगा कि उसने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली हो।

ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में यथोक्तानुसार पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त के अधीन रहते हुए अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाए या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाए।

10. चरित्र–

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। चयन प्रक्रिया के दौरान भी यदि अभ्यर्थी का आचरण–व्यवहार उचित नहीं पाया जाता है, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जाएगी। परीक्षा की शुचिता को बाधित करने के लिए नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही भी आयोग द्वारा की जाएगी।

11. वैवाहिक प्रास्थिति–

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो।

12. शारीरिक स्वस्थता–

किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो।

शासनादेश संख्या 374(1)/XXX(2)/2019 दिनांक 02 नवम्बर, 2019 के अनुपालन में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में परिशिष्ट 2(ग) संलग्न है।

13. आरक्षण–

i. शासनादेशों के नवीनतम प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 19%, उत्तराखण्ड के अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 04%, उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 14% तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 10% ऊर्ध्व आरक्षण अनुमन्य है। विज्ञप्ति में नियोक्ता विभाग के रोस्टर के अनुरूप पदों का आरक्षण किया गया है।

ii. शासनादेशों के नवीनतम प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड की महिला के लिए 30%, उत्तराखण्ड के भूतपूर्व सैनिक के लिए 05%, उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता

संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए 02%, दिव्यांगजनों के लिए 04%, भूतपूर्व सैनिक हेतु 05%, कुशल खिलाड़ी के लिए 04% तथा उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होगा।

iii. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिन्हें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण प्राप्त नहीं है। जो अभ्यर्थी आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन के इच्छुक है, उन अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह आवेदन करने से पूर्व दिनांक 01.04.2024 से दिनांक 18 अक्टूबर, 2024 (आवेदन की अंतिम तिथि) के मध्य निर्गत EWS प्रमाण पत्र, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 की आय पर आधारित हो तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु मान्य हो, को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

iv. उत्तराखण्ड की महिला अभ्यर्थियों को उन्हीं श्रेणी में उन्हीं श्रेणियों में रखा जायेगा जिनसे वे सम्बन्धित है। उत्तराखण्ड की महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

v. जो अभ्यर्थी आरक्षण की जिस श्रेणी में आवेदन करेगा, उसका परिणाम उसी श्रेणी या उपश्रेणी में घोषित किया जायेगा, जब तक कि वह Open Category की मेरिट में स्थान प्राप्त न करे। अभिलेख सत्यापन के समय आवेदन पत्र भरे जाने की अन्तिम तिथि तक का आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी सम्बन्धी प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

vi. "भूतपूर्व सैनिक" से उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी अभिप्रेत है, जिसने भारतीय थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में लड़ाकू या अलड़ाकू के रूप में सेवा की हो और जो–(एक) अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, या (दो) चिकित्सकीय आधार पर, जो कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो, ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी परिस्थितियों, जो उसके नियंत्रण से बाहर हो, के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सकीय या अन्य योग्यता पेंशन दी गई है, या (तीन) जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कमी किये जाने के फलस्वरूप, स्वयं की प्रार्थना के बिना, निर्मुक्त किया गया है या (चार) विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, किन्तु अपनी स्वयं की प्रार्थना पर निर्मुक्त नहीं किया गया है, या दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवा मुक्त नहीं किया गया है और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गयी है और इसमें टेरीटोरियल आर्मी के निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक भी है- (एक) निरन्तर सेवा के लिए पेंशन पाने वाले, (दो) सैन्य सेवा के कारण "विकलांग" अक्षमताओं से अयोग्य व्यक्ति, और (तीन) शौर्य पुरस्कार पाने वाले। (चार) जो अभ्यर्थी आरक्षण की जिस श्रेणी में आवेदन करेगा उसका परिणाम उसी श्रेणी या उपश्रेणी में घोषित किया जाएगा, जब तक कि वह Open Category की मेरिट में स्थान प्राप्त न करे। अभिलेख सत्यापन समय आवेदन पत्र भरे जाने की अन्तिम तिथि तक का आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी संबंधी प्रमाण पत्र अभिलेख सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

vii. शासनादेश संख्या-310/xvii-2/16-02(08)/2013 दिनांक 25.02.2016 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र की वैधता निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक है। अतः अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे ओ0बी0सी0 प्रमाण पत्र की वैधता आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक अवश्य होनी चाहिए।

viii. भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या-36034/6/90 Estt.(SCT) दिनांक 02 अप्रैल 1992 के संदर्भ में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कोई पूर्व सैनिक अभ्यर्थी जो पहले से ही राज्य सरकार की समूह 'ग' और 'घ' की सेवा में कार्यरत है, वह राज्य सरकार के अधीन समूह 'ग' और 'घ' में उच्चतर श्रेणी या संवर्ग में किसी अन्य सेवायोजन को प्राप्त करने के लिए पूर्व सैनिक हेतु यथाविहित आयु शिथिलता का लाभ प्राप्त कर सकेगा, यद्यपि ऐसा अभ्यर्थी राज्य सरकार की नौकरी में पूर्व सैनिक हेतु आरक्षण के लाभ के लिए हकदार नहीं होगा।

ix. भारत सरकार की अधिसूचना संख्या (Notification No). 36034/5/85-Estt.(SCT) दिनांक 27 अक्टूबर, 1986 के अनुसार उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी जिसने भारतीय थल सेना, जल सेना या वायु सेना में योद्धक या अयोद्धक के रूप में सेवा की हो और अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण होने से पूर्व किन्तु 05 वर्ष के अन्तर्गत सेवा कार्य करने की दशा में उन्हें भूतपूर्व सैनिक हेतु निर्धारित आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा।

x. भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को निर्धारित क्षैतिज आरक्षण या उनके आश्रित के रूप में किसी भी प्रकार की छूट या आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है।

xi. "स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित" से तात्पर्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के (एक) पुत्र और पुत्री (विवाहित या अविवाहित), (दो) पौत्र (पुत्र का पुत्र) और पौत्री (पुत्र की पुत्री) (विवाहित या अविवाहित) (तीन) पुत्री के पुत्र/पुत्री से अभिप्रेत है।

xii. उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-244/xxxi(3)/2024/48(1)/2023, दिनांक 10 अगस्त, 2024 में उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण अधिनियम 2023 द्वारा राज्य की राजकीय सेवाओं में चयन के समय चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जायेगा।

xiii. उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 117/xxxi(3)/2024/09(1)/2024, दिनांक 16 मार्च, 2024 में उत्तराखण्ड लोक सेवा (कुशल खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण) अधिनियम, 2024 द्वारा कुशल खिलाड़ी से ऐसा नागरिक अभिप्रेत है, जिसके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में कोई पदक जीता गया हो या प्रतिभाग किया गया हो और जिसका मूल अधिवास उत्तराखण्ड में है, परन्तु उसने अन्य कहीं का कोई स्थायी अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है, अथवा जिसका मूल अधिवास उत्तराखण्ड में नहीं है, परन्तु उसने शासनादेश संख्या 2588/एक-4/कार्मिक/2001 दिनांक 20 नवम्बर, 2001 या तत्सम्बन्धी प्रवृत्त अधिवास सम्बन्धी किसी अन्य शासनादेश के अनुसार उत्तराखण्ड में स्थायी अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया है।

लोक सेवाओं और पदों में उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता/प्रतिभाग करने वाले कुशल खिलाड़ियों के पक्ष में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर, विभागों में, जिन पर भर्ती की जानी है, उन पर क्षैतिज आरक्षण निम्नवत अनुमन्य होगा:

क्र० सं०	प्रतियोगिता का नाम	प्रतियोगिता का स्तर	क्षैतिज आरक्षण
1	ओलम्पिक खेल	पदक विजेता/प्रतिभाग	लेवल–10 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर
2	विश्वकप/विश्व चैम्पियनशिप/एशियन गेम्स	पदक विजेता/प्रतिभाग	लेवल–8 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर
3	कॉमनवेल्थ खेल/एशियन चैम्पियनशिप	पदक विजेता/प्रतिभाग	लेवल–7 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर
4	कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप/अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल	पदक विजेता/प्रतिभाग	लेवल–6 एवं उससे निम्न लेवल
5	राष्ट्रीय खेल/मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैम्पियनशिप/अखिल भारतीय विश्वविद्यालय खेल/खेलो इण्डिया यूथ गेम्स	पदक विजेता	लेवल–5 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर

परन्तु यह कि राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत कुशल खिलाड़ियों के लिए आरक्षित पदों पर योग्य कुशल खिलाड़ी उपलब्ध न होने पर उन पदों को अग्रनीत नहीं किया जायेगा, बल्कि समान श्रेणी के अनारक्षित क्रम में आने वाले योग्य अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।

(xiv) कुशल खिलाड़ियों के द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्रों की पुष्टि संबंधित राष्ट्रीय खेल संघों (भारत सरकार अथवा भारतीय ओलम्पिक संघ से मान्यता प्राप्त) से कराई जायेगी। तथा समान श्रेणी की गणना के क्रम से तात्पर्य अपनी श्रेणी से है।

(xv) यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा। तथा आरक्षण का लाभ संबंधित आरक्षण श्रेणी का वैध प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही मिलेगा।

नोट 1:– अभ्यर्थी मार्गदर्शन हेतु परिशिष्ट–1 तथा आरक्षण से संबंधित प्रारूप हेतु परिशिष्ट–2(क), 2(ख), 2(ग), 2(घ), 2(ङ) तथा दिव्यांगता की श्रेणियों से संबंधित प्रयुक्त संक्षिप्तियों के विवरण हेतु 2(च) का अवलोकन करें। अभ्यर्थी उक्त परिशिष्टों में दिये गये प्रारूपों के अनुसार ही अपने प्रमाण–पत्र तैयार करवायें।

14. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के चरण

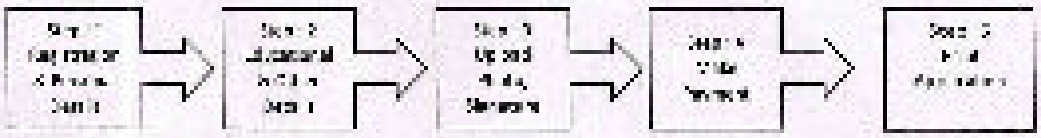

i. अभ्यर्थियों को पंजीकरण के लिए अपने मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी का उपयोग करना चाहिए। एक मोबाइल नंबर और एक ई-मेल आईडी का उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है।

ii. अभ्यर्थी पंजीकरण करने के बाद सदैव अपना ई-मेल आईडी और पासवर्ड सुरक्षित रखें। गलत जानकारी देने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन रद्द समझा जायेगा एवं उ0प्र0शि0से0च0आ0 द्वारा भविष्य में कराई जाने वाली परीक्षाओं से वंचित होने के लिए उत्तरदायी होगा।

iii. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी को अंतिम समझा जाएगा।

iv. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना पंजीकरण नंबर नोट करें क्योंकि यह आगे की प्रक्रिया और भविष्य के लॉग-इन के लिए आवश्यक है।

v. अभ्यर्थियों को अपनी हाल ही में खींची गई नवीनतम रंगीन पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ का आकार (150W×200H px) और हस्ताक्षर का आकार (150W×100H px) को जे0पी0जी0/जे0पी0ई0जी0 प्रारूप में अपलोड करना होगा।

vi. आवेदन-पत्र के लिए भुगतान केवल क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग/यू0पी0आई0 से कर सकते हैं। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन/परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है अथवा निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है, तो उसका आवेदन पत्र/अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जाएगा।

vii. तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन के लिए कृपया हमें chayanayog@gmail.com पर ई-मेल करें।

viii. अपरिहार्य कारणों से यदि एक अभ्यर्थी द्वारा एक ही या अलग-अलग ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर का उपयोग करके एक से अधिक सबमिट किए गए आवेदन पाये जाते हैं, तो उसके द्वारा भरा गया अंतिम आवेदन मान्य होगा।

ix. यदि अभ्यर्थी के आवेदन-पत्र का शुल्क किसी तकनीकी कारण से असफल (failed) हो जाता है या भुगतान हो जाने के बाद भी असफल (failed) हो जाता है तो अभ्यर्थी का कटा हुआ शुल्क शीघ्र वापस कर दिया जायेगा।

x. अभ्यर्थी के आवेदन-पत्र को तभी पूर्ण समझा जायेगा, जब तक की अभ्यर्थी के ऑनलाईन आवेदन-पत्र के Status वाले कॉलम में Completed लिखा न लिखा हो।

xi. निर्धारित तिथि तक शुल्क आयोग के खाते में जमा होने पर ही आवेदन पत्र पूर्ण भरा हुआ माना जायेगा।

xii. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य वांछित समस्त अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। सभी प्रकार के पूर्ण ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि को नियत समय तक अभ्यर्थी को "ONLINE APPLICATION" प्रक्रिया में "Submit" बटन को "Click" करना अनिवार्य है।

xiii. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र तथा अन्य अभिलेखों को डाउनलोड कर यदि भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक उपयोग/साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें। यदि अपने अभ्यर्थन या अन्य मामलों में अभ्यर्थी कोई आपत्ति प्रस्तुत करें, तो आवेदन पत्र अपने अभिलेख अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

16. शुल्कः

अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है-

क्र0सं0	श्रेणी	शुल्क (रू0)
01	अनारक्षित (Unreserved)/उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	300.00
02	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति (SC)/उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति (ST)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	150.00
03	उत्तराखण्ड के दिव्यांग अभ्यर्थी (DIVYANG)	150.00
04	अनाथ (ORPHAN)	00.00

17. अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्न महत्वपूर्ण निर्देशों व शर्तों को पढ़ें-

(1) आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भरना एक महत्वपूर्ण कार्य है। अभ्यर्थी, पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, सेवायोजन पंजीकरण की वैधता, आरक्षण की श्रेणी व उपश्रेणी आदि को भलीभांति पढ़कर/समझकर ही आवेदन पत्र भरें, क्योंकि ऑनलाइन फार्म में किसी प्रमाण-पत्रों/संलग्नकों के संवीक्षा की व्यवस्था नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर अंतिम चयन के बाद भी अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है।

(2) अभ्यर्थी उर्ध्व एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में, रिट याचिका (स्पेशल अपील) संख्या-79/2010 राज्य सिंह बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक [illegible] तथा विशेष अनुज्ञा याचिका

(सिविल) नं0 (एस0) 10322/2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण–पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना आवश्यक है। वर्तमान में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए भी आरक्षण अनुमन्य किया गया है। इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन की अंतिम तिथि तक संगत प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें।

(3) उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में गलत तथ्यों का प्रस्तुतीकरण किन्हीं भी प्रमाण–पत्रों के आधार पर त्रुटि न हो या फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/आयु/अनुभव/आरक्षण सम्बन्धी) के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया हो तथा परीक्षा कक्ष में कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका से न तो नकल करेगा, न ही नकल करवायेगा और न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा तो ऐसे अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त परीक्षाओं से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है, साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरूद्ध अभियोग (FIR) भी दर्ज कराया जाएगा।

(4) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा। अभ्यर्थी को प्रवेश–पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसका अभ्यर्थन आयोग द्वारा अंतिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि अभिलेख सत्यापन के दौरान तथा किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अंतिम रूप से चयनित हो जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

(5) ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के उपरान्त आवेदन में की गयी प्रविष्टियों यथा अर्हता, आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी, आयु एवं परीक्षा केन्द्र या अन्य किसी बिन्दु पर किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(6) ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली भाँति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र को सही–सही भरें। आयोग में ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिए जाने के उपरान्त मूल आवेदन पत्र में दर्शाए गए विवरणों/प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(7) ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, बल्कि उससे पर्याप्त समय पूर्व ही अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करना सुनिश्चित करें। आवेदन के समय के अंतिम दिनों में वेबसाइट पर अतिरिक्त भार आता है, इससे अभ्यर्थी भी आवेदन पत्र भरने से वंचित हो सकते हैं।

(8) आवेदन के इस चरण में ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंट आउट प्रति अथवा किसी भी प्रमाण–पत्र को आयोग कार्यालय में जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

(9) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया पद की सुसंगत सेवा नियमावली एवं अद्यतन प्रख्यापित अधिनियमों/नियमावलियों/नीतियों/शासनादेशों सिद्धान्तों एवं समय-समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के अन्तर्गत सम्पन्न की जाएगी।

(10) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। अभिलेख परीक्षण के समय अभ्यर्थी की शैक्षिक व अन्य अनिवार्य अर्हताओं को सेवा नियमावली के प्राविधानों के अनुरूप भी देखा जायेगा। नियमावली के अनुरूप अर्हता न होने के कारण उनकी अभ्यर्थिता का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(11) ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम तथा जन्म तिथि हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुरूप अंकित करने की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक अभ्यर्थी को अपना अलग मोबाइल नम्बर व ई-मेल भी देना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी के पास अपना स्वयं का मोबाइल नम्बर नहीं है तो वे अपने परिवार के सदस्यों के मोबाइल नम्बर अंकित करें ताकि आयोग से प्राप्त होने वाले संदेश व अन्य जानकारियां पुष्ट प्राप्त करने में सुगम रहे। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।

(12) लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किए जा सकेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर तथा प्रेस नोट आदि के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

(13) वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों की संभावित उत्तर कुंजी/कुंजियों को परीक्षा सम्पन्न होने के उपरान्त आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जाएगा। सम्भावित उत्तर कुंजी के प्रकाशित किये जाने के पश्चात निर्धारित समय के भीतर प्रश्नपत्र एवं संबंधित उत्तर के संबंध में अपना प्रत्यावेदन/आपत्ति ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऑफलाइन या निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा। जिन प्रश्नों पर कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, उन्हें सही प्रश्नोत्तर मानते हुये परिणाम जारी किया जाएगा।

(14) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, कैल्कुलेटर, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी भी प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि वे इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उन पर उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में सम्मिलित होने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन किसी भी प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सहित प्रतिबंधित सामग्री न लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध नहीं किया जा सकता है। परीक्षा केन्द्र पर सुरक्षा जांच के दौरान दिये जा रहे सभी निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।

(15) परीक्षा केन्द्रों के लिए यद्यपि अभ्यर्थी से अधिमानता ली जाती है, तथापि परीक्षा की गोपनीयता/शुचिता के दृष्टिगत या अन्य व्यावहारिक कठिनाइयों के दृष्टिगत इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अतः परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु आयोग का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

(16) उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 160/XXXVI(3)/2023/10(1)/2023 दिनांक 27 अप्रैल, 2023 द्वारा उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम–2023 अधिनियमित किया गया है। किसी भी दुराचरण के लिए अभ्यर्थी के विरुद्ध उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम–2023 समय–समय पर यथा संशोधित प्राविधानानुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करेगा तथा कोई भी व्यक्ति, जो प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित कार्य में तैनात नहीं है या जो प्रतियोगी परीक्षा के संचालन कार्य में नहीं लगाया गया है, अथवा जो परीक्षार्थी नहीं है, परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्र के परिसर में प्रवेश नहीं करेगा।

कोई भी परीक्षार्थी / परीक्षक या परीक्षा में लगा अन्य कोई व्यक्ति परीक्षा केन्द्र पर किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों या उपकरणों का प्रयोग नहीं करेगा। परीक्षा केन्द्र पर किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, घड़ी, कैलकुलेटर, पेजर, चिप, कम्प्यूटर को प्रभावित करने का कोई उपकरण) इत्यादि उपकरण ले जाना पूर्णतः निषिद्ध होगा। उक्त अधिनियम का उल्लंघन करने वाले पर उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम–2023 समय–समय पर यथा संशोधित प्राविधानानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(17) विज्ञापन की आरक्षण तालिका में प्रयुक्त संक्षिप्त शब्दों को निम्नानुसार पढ़ा जाए–

अ०जा०	–	अनुसूचित जाति
अ०ज०जा०	–	अनुसूचित जनजाति
अ०पि०व०	–	अन्य पिछड़ा वर्ग
आ०क०व०	–	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
अना०	–	अनारक्षित

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
सचिव

परिशिष्ट-2 (क)

Syllabus for the post of बेंत शिल्प प्रशिक्षक

Unit-1

Basic conception of बेंत शिल्प :

- Meaning and definition of Cane Craft (बेंत शिल्प)
- History and origin of the Cane craft.
- Current status, scope and challenges related to cane sector.
- Socio-economic status of artisan involved in cane craft
- Current policies and regulations for conservation and utilization
- Cane craft producing countries / states in India

Unit-2

Harvesting and Processing of Cane

- Extraction and processing techniques
- Tools and techniques used for its processing.
- Current utility, various cane products and innovation in designing
- Existing marketing status and its commercial potential.

Unit-3

Ringal Craft in Uttarakhand

- Definition and general characteristics
- Historical background of the ringal craft and dependent communities
- Classification and species found in the Uttarakhand.
- Potential districts of ringal hand craft in Uttarakhand
- Availability of resources and pattern of resource use
- Challenges faced by the artisans for sustainability

Unit-4

Ecological significance of Ringal

- Altitudinal zones of ringal distribution in Uttarakhand
- Ecological roles and interactions within local ecosystems
- Growth cycles and reproductive behaviour
- Role in ecological restoration and sustainable development goals
- Contribution to biodiversity and habitat for other species.
- Importance of GI-tag of ringal species.
- Current policies and regulations its conservation and sustainable utilization.

Unit-5

Cultural and Economic Significance

- Traditional uses of ringal and its management by Indigenous communities
- Cultural practices and rituals associated with ringal.
- Modern applications and commercial potential.
- Potential of Ringal based entrepreneurship in Uttarakhand.
- Impact on local economies and livelihoods.
- Product range developed i.e. domestic utility items, heritage use, office use and other decorative items.
- Existing marketing status and economics of ringal and other associated crafts.

Unit-6

Practical application and hands-on training

- Ringal crafting techniques in modern context
- Innovation in designing and creating modern ringal products
- Successful amazing ringal based entrepreneurship initiative taken in the state.

Unit-7

Ringal Cultivation, Harvesting Techniques

- Ringal propagation and cultivation techniques
- Nursery development
- Plantations techniques
- Harvesting techniques

Unit-8

Processing Techniques

- Tools and equipment (Traditional and Scientific) used in processing.
- Post harvesting management and treatment techniques (Cleaning, drying, splitting, smoking, colouring etc.)
- Value addition through using other natural fibres and wild seeds.

Unit-9

Natural fibres in Uttarakhand –

- Different types of natural fibres and their products
- Traditional knowledge of processing natural fibre.
- Various techniques of preservation and treatment of fibre (natural and modern techniques).
- Role of natural fibres in textile industry.
- Potential of natural fibres in the income generation of local communities.

Unit-10

Pirul Craft in Uttarakhand

- Definition of pirul, processing and product development.
- Various products from pirul.
- Ecological significance of pirul utilisation.
- Current status and economics of pirul products in Uttarakhand.

The Syllabus includes current general knowledge of scientific and technical advancements in all the above units of cane and other associated crafts of Uttarakhand deemed to have been included

परिशिष्ट–2(क)

उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रपत्र

(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..

सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री..निवासी ग्राम....................

तहसील............................नगर.......................जिला...........................

उत्तराखण्ड की.............................. जाति के व्यक्ति है, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950(जैसा कि समय–समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जनजाति उ0प्र0) आदेश 1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी..तथा/अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम.....................तहसील.......................नगर.......................... जिला..............................में सामान्यतया रहता है।

स्थान :–

दिनांक :–

हस्ताक्षर..................................

पूरा नाम...............................

पदनाम...............................

मुहर...................................

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/
सिटी मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/
तहसीलदार/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

परिशिष्ट–2(ख)

उत्तराखण्ड की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण–पत्रों के प्रारूप।

प्रमाण–पत्र का प्रारूप

उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण–पत्र

(जैसा कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी...
सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री...निवासी ग्राम.......................
तहसील..............................नगर..............................जिला..............................
..........उत्तराखण्ड के राज्य की..............................पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा(अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम, 1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त है, की अनुसूची–एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। उक्त अधिनियम, 1994 की अनुसूची 2 में अधिसूचना संख्या 22/16/92–का–2/1995 टी.सी. दिनांक 08 दिसम्बर, 1995 द्वारा यथा संशोधित से आच्छादित नहीं हैं।

श्री/श्रीमती/कुमारी...तथा/अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम..............................तहसील..............................नगर..............................जिला..............................में सामान्यतया रहता है।

स्थान :-

दिनांक :-

हस्ताक्षर..............................

पूरा नाम..............................

पदनाम..............................

मुहर..............................

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

परिशिष्ट–2(ग)

उत्तराखण्ड सरकार

(प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले कार्यालय का नाम एवं पता)

(अधिसूचना संख्या–04/XXXV(3)/2019/19(1)/2019 दिनांक 07 मार्च 2019 से संलग्न)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र

प्रमाण–पत्र संख्या.......................वर्ष...............हेतु मान्य   दिनांक...........

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.......................................
पुत्र/पत्नी/पुत्री.......................................ग्राम/मोहल्ला........................
पोस्ट ऑफिस..............................जिला..............................पिन कोड..............

उत्तराखण्ड राज्य के मूल निवासी/स्थायी निवासी हैं, जिनका नवीनतम फोटो नीचे प्रमाणित है। इनके परिवार की सभी स्रोतों से वित्तीय वर्ष.......................की कुल आय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मानक ₹ 8.00 लाख(रूपये आठ लाख) से कम है और इनका परिवार निम्न में से कोई सम्पत्ति धारित नहीं करता है :–

i. कृषि भूमि 5 एकड़ या उससे अधिक, या
ii. आवासीय भवन 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक, या
iii. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक के आवासीय भूखण्ड, या
iv. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक के भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी..........................जो कि..................जाति से हैं और भारत सरकार/उत्तराखण्ड सरकार की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में सम्मिलित नहीं है।

आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट साइज का प्रमाणित फोटो

हस्ताक्षर सहित कार्यालय की मुहर

नाम..............................

पदनाम..............................

परिशिष्ट–2(घ)

उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण–पत्र

शासनादेश संख्या 4/23/1982–2/1997, दिनांक 28 दिसम्बर, 1997
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..

पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री..निवासी ग्राम..............................

तहसील..................................नगर..................................जिला..................................

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और श्री/श्रीमती/कुमारी(आश्रित)..

........पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री(पुत्र की पुत्री)(विवाहित या अविवाहित) उल्लिखित अधिनियम, 1993 के ही प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती/(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित हैं।

स्थान :–

दिनांक :–

हस्ताक्षर..

पूरा नाम..

पदनाम..

मुहर..

जिलाधिकारी..

परिशिष्ट–2(घ)

निःशक्तता प्रमाण–पत्र

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र संख्या____

दिनांक____________

निःशक्तता प्रमाण पत्र

चिकित्सा बोर्ड के सदस्य द्वारा विधिवत प्रमाणित उम्मीदवार का हाल का फोटो जो उम्मीदवार की निःशक्तता दर्शाता हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0______________________________________

सुपुत्र/पत्नी/पुत्री__________________________आयु______लिंग______पहचान चिह्न__________

______________________________निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त है।

क. गति विषयक (लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (सेरिब्रल पाल्सी)

i. दोनों टांगें (बी.एल.) – दोनों पैर प्रभावित किन्तु बाहें प्रभावित नहीं
ii. दोनों बाहें (बी.ए.) – दोनों बाहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुंच

(ख) कमजोर पकड़

iii. दोनों टांगें और बाहें (बी.एल.ए.) – दोनों टांगें और दोनों बाहें प्रभावित
iv. एक टांग (ओ.एल.) – एक टांग प्रभावित (दायां या बायां)

(क) दुर्बल पहुंच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिक)

v. एक बांह (ओ.ए.) – एक बांह प्रभावित

(क) दुर्बल पहुंच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिक)

vi. पीठ और नितम्ब (बी.एच.) – पीठ और नितम्ब में अकड़न (बैठ और झुक नहीं सकते)
vii. कमजोर मांस पेशियां (एम.डब्ल्यू.) – मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति।

ख. अंधता अथवा अल्प दृष्टि –

i. बी. – अंधता
ii. पी. बी. – आंशिक रूप से अंधता

ग. श्रवण दुर्बलता

I. डी. – बधिर
II. पी. डी. – आंशिक रूप से बधिर

(उस श्रेणी को काट दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति प्रगामी है/गैर प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है/सुधार होने की संभावना नहीं है। इस मामले का पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती/.....वर्षों........महीनों की अवधि के पश्चात पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है। *

3. उनके मामले में निःशक्तता का प्रतिशत..........है।

4. श्री/श्रीमती/कुमारी...............................अपने कार्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/करती हैं–

i.	एफ– अंगुलियों से हस्तकार्य कर सकते/सकती हैं।	हां/नहीं
ii.	पीपी– खींचने और धकेलने से संबंधित कार्य कर सकते/सकती हैं।	हां/नहीं
iii.	एल– उठाने से संबंधित कार्य कर सकते/सकती हैं।	हां/नहीं
iv.	केसी– घुटनों के बल झुकने और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हां/नहीं
v.	बी– झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हां/नहीं
vi.	एस– बैठ कर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हां/नहीं
vii.	एसटी– खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हां/नहीं
viii.	डब्ल्यू– चलते हुए कार्य कर सकते/सकती हैं।	हां/नहीं
ix.	एसई– देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हां/नहीं
x.	एच– सुनने/बोलने से संबंधित कार्य कर सकते/सकती हैं।	हां/नहीं
xi.	आरडब्ल्यू– पढ़ने और लिखने से संबंधित कार्य कर सकते/सकती हैं।	हां/नहीं

(डा. ....)	(डा. ....)	(डा. ....)
सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष
चिकित्सा बोर्ड	चिकित्सा बोर्ड	चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/
अस्पताल के प्रमुख द्वारा प्रति हस्ताक्षरित
(मुहर सहित)

*जो लागू न हो काट दें।

परिशिष्ट–2(ड)

दिव्यांगता की श्रेणियों से संबंधित प्रयुक्त संक्षिप्तियों का विवरण

Description Of Abbreviations Used Related To DIVYANG Categories

श्रेणीवार की सम्बंधित प्रयुक्त संक्षिप्ति

S.NO.	CATEGORY CODE		ABBREVIATION USED	
	अंग्रेजी	हिन्दी	अंग्रेजी	हिन्दी
1	B.	[illegible]	Blind	दृष्टिहीनता
2	L.V/P.B.	[illegible]	Low Vision/Partially Blind	अल्पदृष्टि/आंशिक दृष्टि
3	D.	[illegible]	Deaf	बधिर
4	H.H/P.D.	[illegible]	Hard of Hearing/Partially Deaf	श्रवण शक्ति में ह्रास/आंशिक बधिर
5	O.A.	[illegible]	One Arm Affected (1) Impaired reach (2) Weakness of grip (3) Ataxia	एक हाथ प्रभावित (1) बाधित (2) पकड़ने में कमजोरी (3) [illegible]
6	O.L.	[illegible]	One Leg Affected	एक पैर प्रभावित
7	B.A.	[illegible]	Both Arm Affected (1) Impaired (2) Weakness of grip	दोनों हाथ प्रभावित (1) बाधित (2) [illegible]
8	B.L.	[illegible]	Both Leg Affected	दोनों पैर प्रभावित
9	B.L.A.	[illegible]	Both Leg and Both Arm Affected	दोनों पैर तथा दोनों हाथ प्रभावित
10	B.H.	[illegible]	Stiffback and Hips (cannot sit or stoop)	[illegible]
11	O.A.L.	[illegible]	One Arm and One Leg Affected	एक पैर और एक हाथ प्रभावित
12	C.P.	[illegible]	Cerebral Palsy	प्रमस्तिष्क घात
13	L.C.	[illegible]	Leprosy Cured	कुष्ठरोग मुक्त
14	Dw.	[illegible]	Dwarfism	बौनापन
15	A.A.V/A.V.	[illegible]	Acid Attack Victims/Acid Victims	तेजाब हमला पीड़ित/तेजाब पीड़ित
15	A.S.D.	[illegible]	Autism Spectrum Disorder	स्वपरायणता
17	S.L.D.	[illegible]	Specific learning Disability	विनिर्दिष्ट अधिगम दिव्यांगता
18	I.D.	[illegible]	Intellectual Disability	बौद्धिक दिव्यांगता
19	M.Dy/M.W.	[illegible]	Muscular Dystrophy/Muscular Weakness and limited physical	[illegible]
20	M.I.	[illegible]	Mental Illness	मानसिक अस्वस्थता
21	M.D.	[illegible]	Multiple Disabilities	बहु दिव्यांगता
22	Th.	[illegible]	Thalassemia	थैलेसीमिया
23	Hp.	[illegible]	Hemophilia	हीमोफीलिया